फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

आम जनता सर्व समाज ग्राम झरना बनाम कल्लो वगै0

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र 251क आर.टी.ए. मु0नं0– 13/2023

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.08.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति हेतु पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्राथमिक आपत्ति इस आधार पर पेश की गई है कि ग्राम झरना में लगभग 1200 से भी अधिक व्यक्ति निवास करते है जबकि यह प्रार्थना पत्र केवल 11 व्यक्तियों द्वारा पेश किया गया है ये सभी अप्रार्थीगण के विरोधी एवं अदावट रखने वाले व्यक्ति है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की जोत या निजि भूमि के लिए नहीं किया गया है बल्कि श्मशान के लिए किया गया है। धारा 251क के तहत आर.टी.ए. में श्मशान हेतु रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जावे एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का पुरजोर विरोध किया गया एवं निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र 251क आर.टी.ए. के प्रावधानों के अनुरूप है इसलिए प्रार्थना पत्र आपत्ति खारिज की जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है तथा श्मशान हेतु रास्ते की मांग की गई हैं। धारा 251क के तहत केवल कृषि भूमि हेतु रास्ते की मांग की जा सकती है इसलिए यह प्रार्थना पत्र धारा 251क के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसलिए आपत्ति स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति स्वीकार कर प्रार्थना पत्र 251क आर0टी0ए0 खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	